कबीरधाम पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

थाना बोड़ला

- s बोड़ला पुलिस की कार्यवाही
- s अंतराज्यीय गांजा तस्कर के पास **82** किलोग्राम कीमती **4.10** लाख रूपये एवं घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन टाटा सुमो विक्टा जप्त कीमती **03** लाख रूपये को जप्त किया गया।

दिनंाक-08.03.2020 को थाना बोड़ला, जिला कबीरधाम को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, कि एक सफेद रंग की टाटा सुमो विक्टा वाहन क्रमांक सीजी 08 के 0754 रायपुर-जबलपुर नेशनल हाईवे पर तेज गति से परिवहन करते हुए जबलपुर मध्यप्रदेश की ओर जा रही है। उक्त वाहन में बैठे व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही है, कि उक्त सूचना के संबंध में थाना प्रभारी बोड़ला निरीक्षक संतराम सोनी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सूचना की तस्दीकी हेतु नाकाबंदी पांईट लगाकर वाहनों की चेंकिग करने

निर्देशित किया गया। जिस पर थाना बोड़ला स्टाफ द्वारा रायपुर -जबलपुर नेशनल हाईवे रोड में नाकाबंदी पांईट लगाया जाकर मार्गो में गुजर रहे वाहनों की चैंकिग की गई कि कुछ समय पश्चात् मुखबीर द्वारा बताये गये जानकारी अनुसार चार पहिया वाहन टाटा सुमो विक्टा आई। जिसे रूकवाकर उसमें सवार व्यक्तियों से पुछताछ करने पर अपना नाम छत्रदेव सिंह पिता तेजबहादुर सिंह उम्र 24 साल साकिन रोल थाना रायपुर करचुलियान जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं राहूल पिता शिव प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 22 साल साकिन गाजन थाना रामपुर जिला सतना मध्यप्रदेश बताया गया तथा जबलपुर मध्यप्रदेश की ओर जाना बताये। वाहन की विधिसंगत् तलाशी लेने पर वाहन की डिक्की में विभिन्न पैकेटो में मादक पदार्थ गांजा पाया गया। जिनके संबंध में वाहन सवार व्यक्तियों से पुछताछ करने पर उक्त मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से धन अर्जित करने हेतु उड़ीसा राज्य से लाकर जबलपुर मध्यप्रदेश के रास्ते मध्यप्रदेश राज्य में बिक्री करने ले जाना बताया गया। जिस पर वाहन सवार व्यक्तियों का उक्त कृत्य अपराध धारा नारकोटिक एक्ट के तहत् कृत्य करना पाये जाने से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपियों से कुल 82 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 4.10 लाख रूपये एवं एवं घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की टाटा सुमो विक्टा वाहन कीमती 03 लाख. रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में डाॅ. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं श्री अनिल कुमार सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन एवं श्री अजीत कुमार ओग्रे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला

के दिशा-निर्देश मे निरीक्षक थाना प्रभारी एवं डायल 112 के कर्मचारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।